@shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनाँक – 22.02.2023

एस0ओ0जी0 एवं थाना काँट की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी,

48 घन्टे के अन्दर थाना क्षेत्र काँट के ग्राम मीरवैश्यपुर में हुई 07 वर्ष के मासूम (उत्तम) की निर्मम हत्या का किया खुलासा, सगे तहेरे भाईयों ने दूसरों को फंसाने के उद्देश्य से की थी हत्या, आलाकत्ल एक नुकीली सरिया,कपडो की जली हुई राख सहित अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।

दिनांक 18.02.2023 को नन्हे सिंह पुत्र दलेल सिंह का छोटा पुत्र उत्तम सिंह प्रातः 09.00 बजे के बाद घर से अचानक गायब हो गया। उस दिन नन्हे सिंह के परिवार के सभी पुरुष जलालाबाद अपने रिश्तेदारी मे किसी की मृत्यु होने पर चले गये थे, शाम को वापस आने पर नन्हे को उनका पुत्र उत्तम घर पर नही मिला तो उनके द्वारा गाँव वालो तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से अपने लडके उत्तम सिंह उम्र 07 वर्ष की तलाश की गयी किन्तु वह नही मिला, अगले दिन दिनांक 19.02.2023 को प्रातः नन्हे सिंह द्वारा थाना पर अपने पुत्र उत्तम के घर से गायब होने के सम्बन्ध में थाना काँट पर मु0अ0सं0 100/2023 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया।

दिनांक 19.02.2023 को मु0अ0सं0 100/2023 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित गायब हुये बच्चे का शव गेहूँ के खेत में मिलने की सूचना प्राप्त होने पर श्री एस0 आनन्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर सहित पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी सदर एवं थाना काँट पुलिस व एस0ओ0जी टीम तत्काल मौके पर पहुँची एवं घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा एस0ओ0जी, थाना काँट एवं सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीमों का गठन करते हुये हुये बच्चे की निर्मम हत्या का खुलासा करने हेतु कडे दिशा निर्देश दिये गये।

श्री एस0 आनन्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन व श्री सुधीर जायसवाल पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्री अमित चौरसिया क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण मे गठित टीमों द्वारा अथक व सक्रिय प्रयास से दिनांक 18.02.2023 को पंजीकृत मु0अ0सं0 100/2023 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित मृतक बच्चे उत्तम सिंह पुत्र नन्हे सिंह निवासी ग्राम मीरवैश्यपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर की हत्या का 48 घण्टे के भीतर सफल अनावरण करते हुए 1. प्रशान्त पुत्र छोटे 2. पंकज पुत्र उदयभान निवासीगण ग्राम मीरवैश्यपुर थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर को तमंचा कारतूस तथा आलाकत्ल सरिया सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध मे धारा 34/302/201/363/364/342 भादवि की वृद्धि की गयी तथा गिरफ्तार कर न्या0 रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. प्रशान्त पुत्र छोटे ग्राम मीरवैश्यपुर थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
2. पंकज पुत्र उदयभान निवासीगण ग्राम मीरवैश्यपुर थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी/ बरामदगी का दिनांक , समय व घटनास्थल –

दिनांक 21.02.2023 समय 18.30 बजे , मीरवैश्यपुर तिराहा मदनापुर रोड

बरामदगी का विवरण –

1-एक तमंचा देशी 315 बोर व एक कारतूस जिन्दा 315 बोर

2-आलाकत्ल एक नुकीली सरिया

3-कपडो की जली हुई राख

4-एक जूट का बोरा

अनावरित अभियोग -

1. मु0अ0सं0 100/2023 धारा 34/302/201/363/364/342 भादवि थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पंकज

1. मु0अं0सं0 344/2019 धारा 394/411 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अं0सं0 347/2019 धारा 307 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
3. मु0अं0सं0 348/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर

घटनाक्रम-

दिनांक 18.02.2023 को नन्हे सिंह का छोटा लडका उत्तम सिंह प्रातः 09.00 बजे के बाद घर से अचानक गायब हो गया। उस दिन नन्हे सिंह के परिवार के सभी पुरुष जलालाबाद अपने रिश्तेदारी मे किसी की मृत्यु होने पर चले गये थे शाम को वापस आने पर नन्हे को उनका लडका घर पर नही मिला तो उनके द्वारा गाँव वालो तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से अपने लडके उत्तम सिंह उम्र 07 वर्ष की तलाश की गयी किन्तु वह नही मिला अगले दिन दिनांक 19.02.2023 को प्रातः नन्हे सिंह द्वारा थाना पर अपने पुत्र उत्तम के घर से गायब होने के सम्बन्ध मे अबियोग पंजीकृत कराया। पुलिस द्वारा सक्रिय और अथक प्रयास करते हुए पतारसी सुरागरसी व पूछताछ तथा सर्विलांस तथा एस0ओ0जी0 का सहयोग लिया गया जिसमे 19.02.2023 की शाम को उत्तम की लाश छोटे सिंह के गैंहू के खेत मे मिली। पुलिस द्वारा सूचना मुखबिरी व सर्विलांस के आधार पर दो लोग क्रमशः पंकज व प्रशान्त को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया।

विवरण पूछताछः-

पूछताछ से अभियुक्त प्रशान्त ने बताया कि अपनी दुशमनी निकालने के चक्कर मे अपने ही चचेरे भाई उत्तम की हत्या कर दिया। गांव की एक लडकी से तीन साल पहले दोस्ती हो गयी थी। जिससे मेरा मिलना जुलना था। मैने उसे एक मोबाइल भी खरीद कर दिया था। विवाद होने के बाद मैने उससे अपना फोन वापस ले लिया तो वह मुझ से झगडा करने लगी। वह अपने ननिहाल (मेरे गांव) मे अपने मामा के पास रहती है। इनके मामा लोगो ने मेरी शिकायत की थी और पैसा लेकर सुलह समझौता किया। फिर उसके मामा लोगो ने अपने भूसे मे खुद ही आग लगा दिया और आरोप मेरे ऊपर लगा दिया तो मुझे फिर तीस हजार रूपये देने पडे। पूछताछ पर बताया कि लडकी के मामा लोग उसके परिवार से रंजिश मानते है चूंकि लडकी ने प्रशान्त को बलात्कार मे फंसाने की बात की तो प्रशान्त डर गया और अपने चचेरे भाई पंकज के साथ मिलकर उस लडकी और उसके मामा लोगो को जेल भिजवाने की योजना बनाने लगा। प्रशान्त ने पंकज के साथ मिल कर यह प्लान बनाया कि किसी लडके की हत्या कर के इन लोगो को फसा दिया जाये। मृतक उत्तम के पिता नन्हे बहुत सीधे साधे है जो कि प्रशान्त की बात पर अन्धा विश्वास करते है। जो प्रशान्त कहता है वो बात नन्हे मान लेता है। प्रशान्त ने नन्हे की सीधाई व सराफत का फायदा उठाया और सोचा कि अगर वह नन्हे के लडके उत्तम को मारेगा तो अपने विपक्षीगण को आसानी से फँसा देगा। इसी योजना के तहत प्रशान्त ने सोचा कि इनके लडके को मारेगें तो हम जिसको चाहेगें उसको फसवा देगें यदि किसी और को मारेगें तो वह अपने विरोधियो को नही फसा पायेगे।

प्रशान्त अत्यन्त शातिर व मास्टरमाइण्ड किस्म का व्यक्ति है जो कि पढा लिखा नही है। शिवरात्री के दिन दिनाक 18.2.2023 को मृतक के पिता चाचा व परिवार के अन्य लोग जलालाबाद मे रिस्तेदारी मे मिट्टी मे गये थे तो प्रशान्त ने पंकज को बुला कर बात किया और चाचा के सात वर्षीय लडके उत्तम को बुलाया और पचास रूपये दिया और राजगुटखा लाने को भेजा तथा उसे कहा कि दस रूपये मे तुम कुरकुरे भुजिया खा लेना और उसे नाले के पास गन्ने के खेत के पास बुलाया। गन्ने का खेत गांव से लगभग एक किमी दूर नाले के किनारे सुनसान जगह पर है और वहाँ पर बहुत कम लोगो का आना जाना रहता है। उत्तम प्रशान्त को भाई मानकर उसपर विश्वास करता है। इस लिये उसके पास चला गया। उसको गुटखा नही मिला तो पैसा लौटा दिया। इसके बाद प्रशान्त और पंकज ने शाम तक अंधेरा होने तक उसको वही पर गन्ना चुसने और इधर उधर की बातो मे उलझाये रखा बीच बीच मे जब वह घर जाने की बात करता तो उसको तमंचे से डरा धमका कर वह लोग उसे चुप करा देते थे। जैसे ही अंधेरा हुआ वैसे उसको दोनो लोग खीच कर नाले मे ले गये और टांट के बोरे के ऊपर पटक कर नुकीली सरिया से उसके गर्दन व पेट तथा गुप्तांग पर कई वार कर हत्या कर दी। जब अंधेरा हो गया तो दोनो ने उसी बोरे मे लपेट कर अंधेरे मे उसकी लाश को ले जाकर गेहूँ के खेत मे डाल दिया तथा किसी को शक न हो इसलिये वह दोनो उत्तम को तलाशने मे गांव वालो के साथ लगे रहे। प्रशान्त के पास कोई फोन नही आया था फिर भी उसने अगले दिन अपने चाचा से झूठ बोलकर यह कहा कि उसके फोन पर दो नम्बरो से कॉल आयी है और फोन करने वाले ने यह कहा कि उत्तम को उसकी प्रेमिका(लडकी) के मामा लोग ले गये है और खुद लगातार अपने चाचा और चाची को गुमराह करने मे लगा रहा सूचना मुखबिरी तथा सर्विलांश के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्रशान्त के फोन पर कोई फोन नही आया था। उसके मोबाइल को चैक किया गया तो उसमे कई आपत्तिजनक एप , चैटिंग, एप्लिकेशन, फोटो , डाउण्लोड और हटायी गयी थी व कुछ नम्बरो की स्क्रीनशोट लिये गये थे। पुलिस द्वारा कार्यवाही के दौरान भी पंकज और प्रशान्त लगातार चोरी छिपे बाते सुनने का प्रयास करते रहते थे जिससे शक गहरा होता गया।

दिनांक 21.02.2023 को सर्विलांस व मुखबिरी के आधार पर मीरवैश्यपुर मदनापुर रोड के पास से पंकज और प्रशांत को गिरफ्तार किया गया। प्रशांत के कब्जे से 315 बोर तमंचा कारतूस बरामद हुआ। यह दोनो इतने शातिर है। कि हत्या करने के बाद दोनो अलग अलग दिशाओं मे चले गये। पंकज घटना मे प्रयुक्त बोरा तथा मृतक की एक चप्पल को मरघट पर डाल दिया ताकि पुलिस और लोगो को तांत्रिक क्रिया का शक हो घटना को तंत्र क्रिया का रुप देने के लिये ही नुकीली सरिया से उत्तम के शरीर व गुप्तांग पर सात आठ गहरे घांव किये गये और दाँत भी तोड दिया गया इसके अलावा प्रशान्त घटना मे प्रयुक्त सरिया को अकेले ले जाकर गैंहू के खेत मे छिपा आया और दोनो ने योजना बनायी कि अगर पुलिस पकडे तो दोनो ही अलग अलग झूठा बयान दें ताकि पकडे न जा सकें और वह लोग बच जायें। पुलिस द्वारा पकडे जाने पर प्रारम्भ मे दोनो लोग विरोधाभासी बयान देते रहे और बेगुनाह लोगो का नाम लेकर गुमराह करने की कोशिश करते रहें।

उल्लेखनीय है कि प्रशान्त के विरोधी को बच्चे नही हो रहे थे तथा हाल ही मे एक लडका एक लडकी हुई है जो कि अस्पताल मे भर्ती है। प्रशान्त यही साबित करना चाहता था कि उसके विरोधी ने तंत्र क्रिया के लिये बच्चे को मारा है। और दाँत तोडे है तथा शरीर व गुप्तांगो पर गहरे घाव दिये है। किन्तु पुलिस द्वारा गहरायी से सक्रिय व अथक प्रयास करते हुए घटना का सही खुलासा किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25000/- रूपये का ईनाम देने की घोषण की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

एस0ओ0जी टीम

1- उ0नि0 श्री रोहित सिंह प्रभारी एस0ओ0जी/सर्विलांस शाह0
2-काँ0 1982 शिवम सिंह सर्विलांस सेल
3-हे0काँ0 329 राजाराम पाल 4- हे0काँ0 369 सुशील शर्मा
5- काँ0 1805 प्रभात चौधरी एस0ओ0जी0 शाह0

थाना काँट टीम-

1-श्री जयशंकर सिंह थानाध्यक्ष थाना काँट शाह0

2-उ0नि0 देशपाल सिंह	3-उ0नि0 राजकुमार सिंह	4-उ0नि0 मोहब्बत अली
5-हे0का0 373 आमिर हसन	6-हे0का0 143 विजय प्रताप सिंह	7-हे0का0 धीरज सिंह
8-का0 1386 अवधेश	9-का0 1716 शुभम सिंह	10-का0 2054 विक्रान्त मलिक
11-का0 2619 जसवीर राणा	12-का0 1933 सचिन सिंह	13-का0 1979 दीपान्शु बडगोती